BSES

गालिब के गलियारे बल्लीमारान में बिजली चोरी, आरोपी को जेल

कमला मार्केट में सघन छापेमारी अभियानः 9 के खिलाफ कार्रवाई, 11 लाख का जुर्माना

- कमला मार्केट इलाके में 55 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी
- बल्लीमारान निवासी 20 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़ा गया था, 6. 2 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009। कमला मार्केट इलाके में बीएसईएस ने व्यापक पैमाने पर छपेमारी अभियान चलाते हुए नौ लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा और उन पर 11 लाख रूपये का जुर्माना किया। उधर, स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए, बल्ली मारान निवासी मोहम्मद शाहिद को तिहाड़ जेल भेज दिया। आरोपी पर 6. 21 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था।

कमला मार्केट इलाका

कमला मार्केट के शाहतरा शाह गंज व अजमेरी गेट इलाके में बीएसईएस ने व्यापक पैमाने पर छपेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में नौ लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। तीन लोग बीएसईएस की तारों पर कटिया डाल कर बिजली की सीधी चोरी करते पकड़े गए, जबकि छह अपने मीटरों में छेड़छाड़ कर, बिजली की चोरी करते धरे गए। यहां घरेलू व व्यावसायिक उपयोग के लिए बिजली की चोरी की जा रही थी।

बीएसईएस ने इस सघन छापेमारी के दौरान कुल 55 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी। बिजली चोरी के आरोपियों पर करीब 11 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है। यदि आरोपी जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बल्लीमारान का मामला

कभी गालिब के गलियारे के नाम से विश्वविख्यात बल्लीमारान का इलाका आज बिजली चोरी के लिए जाना जाने लगा है। इस इलाके में 40 प्रतिशत बिजली चोरी हो जाती है। बल्लीमारान के बुधवा खान निवासी मोहम्मद शाहिद के घर अप्रैल, 2008 में बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम ने छापा मार कर 20 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी थी। वह बीएसईएस की बिजली लाइन पर कटिया डाल कर बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। वह चोरी की बिजली का व्यावसायिक उपयोग कर, उस से एक अवैध एनोडाइजिंग प्लांट चला रहा था, जिसमें बिजली की काफी खपत होती है। वैसे, आरोपी ने दिखाने के लिए 1 किलोवॉट का बिजली कनेक्शन ले रखा था, लेकिन अपना एनोडाइजिंग प्लांट वह चोरी की बिजली से ही चला रहा था।

भारतीय बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों के तहत, आरोपी मोहम्मद शाहिद पर 6. 21 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन उस ने, निर्धारित की गई समयसीमा के भीतर, जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद बीवाईपीएल ने चांदनी चौक पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कराई। गिरफ्तारी के भय से आरोपी ने 11 नवंबर को कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दाखिल की। लेकिन बीएसईएस द्वारा पेश किए गए सबूतों व दलीलों को देखते हुए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और, उसे 3 जनवरी को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। जमानत के तीसरे प्रयास में आरोपी को जमानत दी गई। इस बीच, उसे छह दिन जेल में गुजारने पड़े। वैसे, जमानत मिल जाने के बाद भी आरोपी के खिलाफ अदालती मामला चलता रहेगा।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304